



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2018 / 2336

प्रति,

दिनांक : 13/12/18

प्राचार्य,

नवसंवत् विधि महाविद्यालय,
लालपुर, नागझीरी, देवास रोड़,
उज्जैन।

विषय :- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक / REN62800377, दिनांक 25.07.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता / निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 14.11.2018 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2018 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन, में सत्र 2018-19 में 2017-18 एवं 2018-19 हेतु महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं एल.एल.एम., एल.एल.बी., बी.ए.एल.एल.बी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम. (ऑनर्स), बी.कॉम. (प्लेन / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन) पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा मान्य की गई। तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्त विषयों की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 की कार्योत्तर सम्बद्धता-निरंतरता एवं सत्र 2018-19 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
(1)	एल.एल.एम.	100
(2)	एल.एल.बी.	160
(3)	बी.ए.एल.एल.बी.	180
(4)	बी.बी.ए.	200
(5)	बी.सी.ए.	180
(6)	बी.कॉम. (ऑनर्स)	120
(7)	बी.कॉम. (प्लेन / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	200

शर्त :- 01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शेष शिक्षकों की नियुक्ति अविलम्ब कराई जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा। आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधि में करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

13.12.18

निरंतर...02

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
 2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
 3. क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल।
 4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 5. प्राचार्य, शा. कालिदास कन्या स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, उज्जैन।
 6. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय की
 7. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की
 9. वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ।


अनुभाग 13.12.18
अधिकारी (अकादमिक)
13.12.18